



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18082025-265456
CG-DL-E-18082025-265456

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3675]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 14, 2025/श्रावण 23, 1947

No. 3675]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 14, 2025/SHRAVANA 23, 1947

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2025

का.आ. 3777(अ).—जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी अधिनियम, 2008 की धारा 5 (1) के खंड (झ) और जपमेर पुदुचेरी नियम, 2008 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार डॉ. चित्रा सरकार को एतद्वारा जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी के संस्थान निकाय के सदस्य के रूप में अधिसूचित करती है।

डॉ. चित्रा सरकार का कार्यकाल जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी अधिनियम, 2008 की धारा (6) में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

[फा. सं. जेड.16013/52/2018—आईएनआई.।।]

अंकिता मिश्रा बुंदेला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health and Family Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th August, 2025

S.O. 3777(E).—In exercise of powers conferred by Section 5(1)(i) of the Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Puducherry Act, 2008 and Section 3 of JIPMER, Puducherry Rules, 2008, the Central Government hereby notifies Dr. Chitra Sarkar as Member of the Institute Body (IB) of Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research (JIPMER), Puducherry.

The term of Dr. Chitra Sarkar as Member of the IB of JIPMER shall be governed by the provisions contained in Section 6 of the Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research (JIPMER), Puducherry Act, 2008.

[F. No. Z.16013/52/2018-INI.II]

ANKITA MISHRA BUNDELA, Jt. Secy.